

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
CWC EMPLOYEES BENEVOLENT TRUST

No.CWC/EBT/MAS/2018-2019

980 E
CIRCULAR

Dated: 27/08/2018

Sub:- Addition of Dependent Sister as per Dependency certificate submitted to Personnel Division for the purpose of EBT Marriage Loan

Board of Trustees of CWC Employees Benevolent Trust had decided in their 22th meeting held on 24/07/2018 to include the dependent sister for the purpose of Loan under Marriage Assistance Scheme contained in circular No. CWC/IRO-B.F/2013-2014 dt. 09/09/2013 & CWC/EBT/MAS/2016-17 dt. 24.10.2016 subject to condition that her name is already mentioned in dependency certificate furnished to Personnel Division for the purpose of medical reimbursement scheme of CWC in case of existing employee and first dependency certificate in case of new recruit in future.

The revised scheme is applicable from today i.e. 27.08.2018

Other terms & Conditions will remain unchanged.

Hindi version of circular follows.

Arvind Chaudhri
27-8-18
(Arvind Chaudhri)
GGM (Pers)/ Secretary (EBT)

Distribution.-

1. All Divisional Heads, CWC, CO, New Delhi.
2. GGM(F&A)/Trustee, CWC, CO, New Delhi.
- ✓ 3. GM(Systems), CWC, CO, New Delhi with request to place the circular on website of CWC.
4. Secretary, CWC/Trustee, CWC, CO, New Delhi.
5. All RMs Head/ CWC.
6. GM(F & A) /Trustee, CWC, CO, New Delhi.
7. GM(Comm)/Trustee, CWC, CO New Delhi
8. GM(System)/Trustee, CWC, CO, New Delhi
9. Manager (Estt.)/Trustee, CWC, CO, New Delhi.
10. Manager (Rajbhasha) with request to arrange Hindi version of the circular.
11. Sh A. Sivanand, JS & Trustee, RO, Hyderabad.
12. Notice Board of CWC, Corporate Office, New Delhi.

Copy to:-

SPA to Chairman/ PPS to MD/SAM to D(F)/SPA to D(P)/PS to Dir. (MCP)/PA to CVO, CWC, CO, New Delhi

JS(MIS)
ABLS

Arvind Chaudhri
29/8/18

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
के.भ.नि. कर्मचारी हितकारी निधि ट्रस्ट

केभनि-ईबीटी/एमएस/2018-2019


दिनांक: 27.08.2018

विषय: ईबीटी विवाह ऋण के लिये कार्मिक विभाग में प्रस्तुत आश्रितता प्रमाण-पत्र के अनुसार आश्रित बहन को शामिल किया जाना।

दिनांक 24.07.2018 को आयोजित केन्द्रीय भण्डारण निगम कर्मचारी हितकारी ट्रस्ट के न्यासियों के बोर्ड की 22वीं बैठक में परिपत्र सं. केभनि/आईआरओ-बी.एफ/2013-2014 दिनांक 09.9.2013 तथा केभनि/ईबीटी/एमएस/2016-17 दिनांक 24.10.2016 में निहित विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत ऋण देने के उद्देश्य से आश्रित बहन को शामिल करने का निर्णय लिया गया है बशर्ते उसके नाम का उल्लेख, मौजूदा कमियों के मामले में केभनि की चिकित्सा प्रतिपूति योजना हेतु कार्मिक विभाग में प्रस्तुत आश्रितता प्रमाण-पत्र में पहलेसे दिया गया हो तथा भविष्य में नई भर्तियों के मामले में प्रथम आश्रितता प्रमाण-पत्र में दिया गया हो।

यह संशोधित योजना आज दिनांक 27.08.2018 से लागू होगी।

अन्य नियम व शर्तें समान रहेंगी।


27-08-18

(अरविंद चौधरी)

समूह महाप्रबंधक (कार्मिक)/
सचिव (ईबीटी)

वितरण:-

1. सभी विभागाध्यक्ष, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
2. समूह महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ट्रस्टी, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
3. महाप्रबंधक (प्रणाली), केभनि, नि.का., नई दिल्ली। (कृपया परिपत्र केभनि के वेबसाइट पर अपलोड करवाएं)
4. सचिव, केभनि/ट्रस्टी, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
5. सभी क्षेत्रीय प्रबंधक, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
6. महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ट्रस्टी, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
7. महाप्रबंधक (वाणिज्यक)/ट्रस्टी, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
8. महाप्रबंधक (प्रणाली)/ट्रस्टी, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
9. प्रबंधक (स्थापना)/ट्रस्टी, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
10. प्रबंधक (राजभाषा) कृपया इस परिपत्र का हिंदी अनुवाद करवाएं।
11. श्री ए. शिवानन्द, संयुक्त सचिव और ट्रस्टी, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद।
12. सीडब्ल्यूसी के नोटिस बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:

अध्यक्ष के वरि निजी सहायक/प्रबंध निदेशक के प्रधान निजी सचिव/ निदेशक (वित्त) के वरि सहायक प्रबंधक/ निदेशक (कार्मिक) के वरि निजी सहायक/निदेशक (एमसीपी) के निजी सचिव/ मुख्य सल्लेखा अधिकारी के निजी सहायक, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।